



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/01/2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्ड पीठ, केम्प-जयपुर</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> <u>श्री अमर सिंह, सदस्य</u></p> <p>वकील प्रार्थी श्री पंकज घीया एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री एन. के. बैद उपस्थित।</p> <p>उभयपक्ष की विविध प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि पूर्व में माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 30.10.2013 के द्वारा अपील संख्या 1883 व 1884/2013/जयपुर में निर्णय पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर उपायुक्त(अपील्स) को यह निर्देशित किया गया है कि अपील का निर्णय अपील स्तर पर तीन माह में करें परन्तु उक्त अपील का निर्णय अपील स्तर पर नहीं हुआ है। अतः खण्डपीठ से यह निवेदन है कि अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित करे कि अपील का निर्णय दो माह के भीतर किया जावे।</p> <p>विभाग के श्री एन.के.बैद उप राजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई एतराज नहीं किया।</p> <p>उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 30.10.2013 के द्वारा अपील संख्या 1883 व 1884/2013/जयपुर में निर्णय पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर उपायुक्त(अपील्स) को यह निर्देशित किया गया है कि अपील का निर्णय अपील स्तर पर तीन माह में करें परन्तु उक्त अपीलों का निर्णय अपील स्तर पर नहीं हुआ है। अतः अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त अपीलों का निष्पादन दो माह के भीतर करें।</p> <p>फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (अमर सिंह) सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  (मदन लाल) सदस्य </p>	